(ख) क्या यह भी सच है कि इस व्यवहार के कारण फिजी के नागरिकों को फिजी छोड कर किसी अन्य देश में जाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है ; यदि हां, तो चालू वर्ष में फिजी छोड़ कर जाने वाले लोगों की संख्या क्या है और क्या सरकार ने इस संबंध में कूटनीतिक कदम उठाए हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उनका क्या परिणाम निकला है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) फिजी में भारतीय मूल के लोगों के साथ जो जातीय भेदभाव का व्यावहार किया जा रहा है उसके प्रति तथा वहां की गैर-कानूनी सरकार द्वारा फिजी के नागरिकों के मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है उसकी भी भारत सरकार की जानकारी है । इसकी वजह से पिछले तीन साल में करीब 21,000 लोग वहाँ से विदेशों में चले गए हैं; लेकिन बताया जाता है कि कुछ लोग लौट भी आए हैं । वर्ष 1990-91 के ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । भारत सरकार ने कई अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर फिजी में जातीय भेदभाव तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन का सवाल उठाया है। सम्बद्ध देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी इस संबंध में विचार-विमर्श हुआ है । भारत सरकार जातीय भेद-भाव का तथा फिजी में मानवाधिकारों के उल्लंघन का विरोध करने वाले सभी फिजी वासियों को राजनयिक और नैतिक समर्थन दे रही है । फिजी की स्थिति के प्रति अन्तर-राष्ट्रीय जागरुकता यद्यपि बढ़ रही है लेकिन अन्य कुछ ही ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने गैर-कानूनी सरकार की जातीय भेद-भाव की नीति का सक्रिय विरोध किया है ।

गंगा कार्य योजना

807. **श्री जलराम सिंह यादव :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में गंगा कार्य योजना के अधीन शुरू की गई परियोजनाओं पर काम लगभग रोक दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उत्तर प्रदेश में इस योजना पर कितना धन व्यय किया है ;

(ग) व्यय किए गए धन से इस योजना के अंतर्गत कितना काम किया गया है ; और

(घ) इस कार्य योजना को अधूरा छोडने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं । उत्तर प्रदेश में परियोजना की स्कीमों पर कार्य रुका नहीं है । संस्वीकृत की गई 107 स्कीमों में से 66 स्कीमें पहले ही पूरी की जा चुकी हैं । शेष स्कीमें कार्य पूरा होने के विभिन्न चरणों में है ।

(ख) दिनांक 31.10-90 तक 77.6 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है ।

(ग) हरिद्वार-ऋषिकेश में 16 स्कीमों, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में 3 स्कीमों; कानपुर में 7 स्कीमों, इलाहाबाद में 13 स्कीमें, मिर्जापुर में 2 स्कीमें और वाराणसी में 25 स्कीमों पर क्रमश: 11.05 करोड़ रुपये, 1.02 करोड़ रुपये, 12.45 करोड़ रुपये, 3 93 करोड़ रुपए, 2.90 करोड़ रुपये और 35.91 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं । शेष कार्य प्रगति पर है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Financial assistance to Paradeep Port Trust

808. SHRI KAHNU CHARAN LENKA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether any proposal has been received from Ae Paradeep Port Trust for providing adequate financial assistance for the improvement of the existing iron-ore berths and ore handling plant at that port; and

(b) if so, the details of the financial assistance provided therefor?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI MANUBHAI KOTADIA): (a) No, Sir.

(b) Question does not ari. sc.

Development of Paradeep Port

809. SHRI KAHNU CHARAN LENKA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to stats:

(a) whether there is delay in executing the proposal for developing the Paradeep Port in Orissa;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken to expedite the implementation of the project ?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI MANUBHAI KOTADIA): (a) to (c) Thirteen development schemes are in progress. There are no delays in the execution of the schemes. A number of major development schemes have been proposed for inclusion in the 8th Five Year Plan which has not been finalised.

दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत चल रही प्राइवेट सों के संघ की ओर से हड़ताल की धमकी

810. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या जन-भनन परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत चल रही प्राइवेट बसों के संघ ने मासिक पासों पर अधिक धन की मांग करते हुए हड़ताल करने की धमकी दी है और क्या यह भी सच है कि दिल्ली परिवहन निगम प्राइवेट बस प्रचालकों को पूरा भुगतान नहीं कर रहा है और इस प्रकार वह पहले किए गए समझौते का उल्लंघन कर रहा है, और

(ख) यदि हां, तो हड़ताल द्वारा उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए तथा प्राइवेट बस मालिकों को प्रतिदिन के हिसाब से दी जा रही 86.50रुपये की राशि को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे है ?

जल संसाधन मंत्री, साथ में जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी, नहीं । दि.प.नि. के अधीन प्रचालन करने वाले निजी बस प्रचालकों से दि.प.नि.की हड़ताल का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है । दि.प.नि. ने इस बात की पुष्टि की है कि वे निजी बस प्रचालकों को, उनके साथ किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार, पूरा भुगतान कर रहे है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Discriminatory Saudi laws for Indian nationals

811. SHRI N. E. BALARAM:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Saudi Arabia has different laws for giving compensation to Indian nationals who die-in that country while on job and the Indian nationals belonging to different religions are given different amount of compensation;

(b) whether it is a fact that the parents of Late Mr. Sunil Vadhera, who died in an accident in Dammam near Rivadh, Saudi Arabia in 1984 were paid reduced amount of compensation and that they